सौगात | कम किराये में यात्रियों को मिलेगी ज्यादा सुविधायें

तीर्थनगरी से मायानगरी जाना आसान, अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू

जबलपुर, नवभारत। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के रास्ते महाराष्ट्र जाने वाले लाखों यात्रियों, खासकर मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों के लिए मंगलवार को एक राहत प्रदान करने वाली खबर आई। अमृत भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन अयोध्या-मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) का संचालन मंगलवार को शुरू हो गया। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल से होकर चल रही है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार 28 अप्रैल को बनारस से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। ये ट्रेन पूरी तरह नॉन एसी हैं, लेकिन सुविधाएं आधुनिक हैं। इन्हें निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

28 घंटों में पहुंचाएगी यह ट्रेन

अयोध्या-मुंबई ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी, जो अधिकतम 28 घंटे में पहुंचाएगी। इनके संचालन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ते हुए आस्था, रोजगार और शिक्षा का नया अवसर खुलेगा और आम आदमी को कम खर्च में बेहतर और सम्मानजनक सफर का अनुभव मिलेगा। ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच के साथ दिव्यांगजन के लिए अनुकूल व्यवस्था, बेहतर सीट और बर्थ डिजाइन, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, उन्नत शौचालय, बेहतर रोशनी और मजबूत कोच संरचना इन्हें विशेष बनाती हैं।

सुरक्षा के लिहाज से भी आधुनिक हैं। इनमें सीसीटीवी निगरानी, इमरजेंसी टाक बैक प्रणाली, आग से सुरक्षा की उन्नत व्यवस्था और पूरी तरह बंद गैंगवे जैसी सुविधाएं दी गई हैं। दोनों ओर इंजन वाली पुश-पुल तकनीक के कारण यात्रा अधिक सुगम, तेज और झटकों से मुक्त होगी, जिससे यात्रियों को अधिक आराम मिलेगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनका महत्व और बढ़ जाता है।

बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। लेकिन अब अयोध्या सीधे मुंबई से जुड़ चुका है। यह गाड़ी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सतना और जबलपुर जैसे शहरों को जोड़ते हुए लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए जीवनरेखा साबित होगी। उन्हें बार-बार ट्रेन बदलने या महंगे साधनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जाहिर है, अमृत भारत ट्रेनें परिवहन सुविधा के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी माध्यम बन रही हैं। सस्ती, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा के जरिए तीन राज्यों के यात्री देश के बड़े आर्थिक केंद्रों से जुड़ेंगे, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

सेना के हवलदार ने हाईकोर्ट के नियम की वैधता को दी चुनौती

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में सेना के एक हवलदार द्वारा हाईकोर्ट के नियम-48 की वैधता को कटघरे में रखते हुए चुनौती दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल व विधि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला याचिकाकर्ता हवलदार संजय कमार अहिरवार की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, संजय कुमार शर्मा व रोहिणी शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट के नियम का वह प्रावधान चुनौती के योग्य है, जिसके अनुसार दोषसिद्ध व्यक्ति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका तभी सुनवाई योग्य है, जब वह न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर चुका हो अथवा न्यायिक अभिरक्षा में हो। सुप्रीम कोर्ट के विवेक राय प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के समान नियम को चुनौती दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया था कि हाईकोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर विशेष परिस्थितियों में सरेंडर की अनिवार्यता से छूट देने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि बाद में दौलत सिंह प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि धारा 389 में सरेंडर से छूट का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसलिए धारा 482 के तहत ऐसी राहत नहीं दी जा सकती। याचिका में कहा गया है कि इसी निर्णय के बाद मप्र हाईकोर्ट में नियम-48 के अंतर्गत दायर छूट आवेदन निरस्त किए जाने लगे हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब किया है।

कलेक्ट्रेट में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश

जमीन विवाद से जुड़ा मामला पार्षद और सहयोगी पर लगाए धोखाधड़ी व धमकी के आरोप

नवभारत, जबलपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरातफरी मच गई जब एक युवक ने आत्महत्या करने के इरादे से अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे समय रहते रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित युवक ने क्षेत्रीय पार्षद और एक अन्य व्यक्ति पर उसकी पुश्तैनी जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसकी लगभग 2 एकड़ जमीन के मूल दस्तावेज जबरन छीन लिए गए और मिलीभगत से उसे करीब 40 लाख रुपए में बेच दिया गया। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और पीड़ित को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

लंबे समय से न्याय के लिए लगा रहा चक्कर

युवक ने यह भी आरोप लगाया कि उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और वह लंबे समय से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी से परेशान होकर उसने कलेक्ट्रेट में यह कदम उठाने की कोशिश की।

इनका कहना है

युवक ने जमीन मामले को लेकर आरोप लगाए हैं, लेकिन उस समय कोई मूल दस्तावेज उसके पास नहीं थे, पहली बार उसकी शिकायत पहुंची थी। मामले की जांच को लेकर तहसीलदार को जांच के लिए लिखा गया है।

राघवेंद्र सिंह
कलेक्टर

डूबने से उत्तर प्रदेश के युवक की मौत

नर्मदा में नहाते समय हादसा

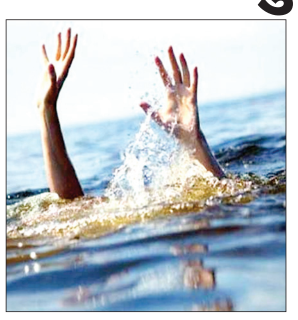

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत ग्वारी ललपुर घाट पर मंगलवार दोपहर नर्मदा नदी में स्नान करने गया उत्तर प्रदेश का एक युवक नहाते समय गहरे पानी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही घटना की सूचना मृत के परिजनों को दे दी है।

पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय विनायक राय निवासी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थाना सिकंदरपुर अंतर्गत ग्राम एकसार का मंगलवार दोपहर ललपुर घाट पर नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने या गहराई का अंदाजा न होने के कारण वह गहरे पानी में चला गया।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज से मिली सूचना के बाद तिलवारा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक जबलपुर में किस सिलसिले में आया था और घटना के समय उसके साथ कौन था, पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

98 पुरुष व 24 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में

जबलपुर। एमपी स्टेट बार चुनाव-2026 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित सभी अपीलों का निराकरण कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा उक्त सभी अपीलों को निरस्त कर दिया गया है। स्टेट बार 18 पुरूष सदस्य व पांच महिला सदस्यों को मिलाकर कुल 23 सदस्यों हेतु चुनाव प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है। उक्त पद हेतु 98 पुरुष प्रत्याशी व 24 महिला प्रत्याशी चुनाव में भाग ले रहे हैं। मंगलवार 12 मई को मतदान संपन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति एसके पालो के अनुसार सभी जिला-तहसील मुख्यालय में अधिवक्ता परिचय पत्र प्रस्तुत कर अपना मताधिकार का नियमानुसार उपयोग कर सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशियों को आवंटित अनुक्रमांक में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर पांच याचिकाओं के कारण ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई बढ़ी

जबलपुर। ओबीसी आरक्षण संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर पांच याचिका का स्थानांतरण हाईकोर्ट में नहीं हुआ है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उन याचिकाओं के स्थानांतरण होने के बाद 13 मई से तीन दिनों तक सुनवाई के निर्देश जारी किये है। मप्र शासन की से युगलपीठ को बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में नियुक्त किये गये विशेष अधिवक्ता पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अशिता दुबे व अन्य की ओर से दायर याचिका में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने को चुनौती दी गई थी। ओबीसी आरक्षण के पक्ष तथा विपक्ष में हाईकोर्ट में एक सैकड़ा से अधिक याचिका दायर की गयी थी। आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये। कुछ याचिकाओं में याचिकाओं में फार्मूला 87:13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति की गयी थी। पक्ष में दायर की गयी याचिकाओं में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गयी थी।

पूर्व में मप्र शासन ने ओबीसी से जुड़े प्रकरण सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करा लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को इन मामलों को वापस हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। याचिकाओं पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के विपक्ष में लगभग 70 तथा पक्ष में लगभग 30 याचिकाएं दायर की गयी है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद पक्ष व विपक्ष के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने याचिकाओं को अलग-अलग करने निर्देश दिये थे।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पर मध्य प्रदेश स्थानांतरित की गयी सभी याचिकाओं को वापस हाईकोर्ट भेज दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी पांच याचिकाएं हाईकोर्ट में स्थानांतरित नही की गयी है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये। ओबीसी आरक्षण के विपक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी तथा सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केएम नटराजन पैरवी के लिए उपस्थित हुए।

अनियंत्रित बस ने रौंदा, गाय की मौत

जबलपुर । पाटन-कटंगी रोड पर दाल मिल के पासएक तेज रफ्तार बस के चालक ने सड़क पर खड़ी गाय को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो छात्र बाल-बाल बच गए। जानकारी के अनुसार पाटन के चौधरी मोहल्ला निवासी 11वीं कक्षा का छात्र सागर चौधरी अपने दोस्त प्रयास रजक के साथ मोटरसाइकिल एमपी 20 एन ए 8355 से महगवां में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही छात्र रौनक अग्रवाल की दाल मिल के पास पहुंचे, पाटन की ओर से आ रही बस एमपी 13 डी एम 9999 के चालक ने बेहद तेज गति और लापरवाही से बस को दौड़ाते हुए मोटरसाइकिल के बगल से कट मारा। बस की रफ्तार देख छात्र ने अपनी बाइक सड़क किनारे उतार दी, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन इसी दौरान अनियंत्रित बस ने सड़क पर खड़ी गाय को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बस चालक मौके से वाहन लेकर भाग निकला। छात्र सागर चौधरी की शिकायत पर पाटन पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है ।

केन्द्र प्रभारी और समिति प्रबंधक से 56 लाख की वसूली पर लगाई हाईकोर्ट ने रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस जेके पिल्लई की एकलपीठ ने धान उपार्जन केंद्र रैगवां, जिला पन्ना के केंद्र प्रभारी व समिति प्रबंधक को बड़ी राहत दी है। इसके तहत 56 लाख की वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर पूछा है कि बिना उचित सुनवाई और बिना यह बताए कि इतनी बड़ी राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया, किसी कर्मचारी पर सीधे नागरिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता।

दरअसल याचिकाकर्ता पन्ना निवासी बलराम उरमलिया की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पन्ना द्वारा जारी रिकवरी नोटिस चुनौती के योग्य है। इस नोटिस में 2,375.04 क्विंटल धान की कमी बताते हुए 56 लाख 26 हजार 469 की राशि तीन दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था, अन्यथा कठोर वसूली की चेतावनी दी गई थी। याचिकाकर्ता पिछले लगभग 20 वर्षों से सहकारी विभाग में कार्यरत हैं। उन्हें खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के दौरान धान उपार्जन केंद्र रैगवां का अतिरिक्त प्रभार केंद्र प्रभारी के रूप में सौंपा गया था। उन्होंने शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धान की खरीदी, इलेक्ट्रानिक तौल, ई-उपार्जन पोर्टल प्रविष्टि व परिवहनकर्ता को विधिवत सुपुर्दगी की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की थी। याचिका में यह बताया गया कि समस्त स्टाक परिवहनकर्ता को विधिवत सौंपा गया था और उसके प्राप्ति दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। कथित कमी यदि हुई भी है, तो वह परिवहन के दौरान हुई है, जिसकी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की बनती है।

पेंशन का करो भुगतान और दो जवाब, वरना पीएस होंगे तलब

रादुविवि के सेवानिवृत्त कर्मियों के पक्ष में राहतकारी आदेश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों के पक्ष में राहतकारी आदेश दिया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले में आवेदकों की पेंशन भुगतान करने के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि आगामी तीन सप्ताह में जवाब पेश नहीं किया गया तो उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया जायेगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 11 मई वाले सप्ताह में निर्धारित की है।

हाईकोर्ट में यह मामले रादुविवि के सेवानिवृत्त कर्मी एलएल रैकवार, जीपी कोरी, मुकेश चंद, सविता मिश्रा, आरडी पटेल, दुर्गा पदमांगे, अजय कुमार झारिया, कलावती दुबे व केशव प्रसाद की ओर से दायर किये गये थे। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण पवार ने पक्ष रखा। जिनमें कहा गया कि पिछले दो वर्षो से उन्हें पेंशन से वंचित रखा गया है, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले की सुनवाई दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त मामले में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त को उन्होंने पत्राचार कर जवाब के लिये लिखा था, लेकिन अब तक कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जिस पर न्यायालय ने अंतिम अवसर देते हुए उक्त निर्देश दिये।

राम मंदिर से हनुमान की चांदी की चैन पार

सीसीटीव्ही कैमरे में कैद हुआ चोर, प्रकरण दर्ज

जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत मदनमहल स्थित श्री राम मंदिर में एक शातिर चोर ने भगवान हनुमान के गले से चांदी की कीमती चैन पार कर दी। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है ।

जानकारी के अनुसार मदनमहल प्रेमनगर निवासी फरियादी मनोज शर्मा (58) नें रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह जब मंदिर के पुजारी रामकुशल पांडे पूजा-पाठ करने पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी के गले में सुशोभित जय सिया राम लिखी हुई चांदी की बड़ी चैन गायब थी। पुजारी ने तुरंत इसकी जानकारी मंदिर समिति और मनोज शर्मा को दी। चोरी की खबर मिलते ही जब मंदिर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो सुबह 10:33 बजे एक व्यक्ति हनुमान जी के गले से चैन निकालते हुए साफ दिखाई दिया। हुलिए और पहचान के आधार पर आरोपी की शिनाख्त अनिल विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मंदिर में हुई चोरी से श्रद्धालुओं में रोष है।

सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग ने घर पर तोड़ा दम

जबलपुर। पाटन-तेंदूखेड़ा मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में घायल 70 वर्षीय बुजुर्ग ने घर में दम तोड़ दिया। पाटन पुलिस ने बताया कि चौधरी मोहल्ला निवासी नन्हे भाई काछी (70) बीते 23 अप्रैल को बबेले पैलेस के सामने सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल पाटन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया। मृतक के पोते शुभम काछी ने पुलिस को बताया कि मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद 24 अप्रैल को वे उन्हें घर ले आए। कल दोपहर करीब 1 बजे खाना खाने के बाद नन्हे भाई सोने चले गए थे, लेकिन शाम 4 बजे जब परिजनों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, तो वे बेसुध मिले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाउन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाउन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57